

किम्बर्ली प्रोसेस

आयात/निर्यात प्राधिकारी भारत

रिफ्रेन्स: GJC/KP-CIR/85/2015-16/00018

1 जून 2015

### परिपत्र

विषय: सेवा कर में बदलाव 1 जून 2015 से 14% लागू

माननीय महोदय,

यह पत्र 19 मई 2015 के सेवा कर अधिसूचना क्र. 14/2015-एसटी जिसमें 1 जून 2015 से 14% सेवा कर लागू होने की बात कही गयी है, के सन्दर्भ में है।

किम्बर्ली प्रोसेस के सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों के लिए शुल्क पर 14% सेवा कर लागू होगा।

1 जून 2015 से केपी शुल्क नीचे दी हुई तालिका के हिसाब से देय होगा:

जून 2015 से लागू केपी संसाधन शुल्क पर संशोधित सेवा कर	केपी संसाधन शुल्क	सेवा कर@14%	कुल देय शुल्क
	रु.	रु.	रु.
सदस्य	500	70	570
कूरियर शुल्क (@ 310/-) के साथ सदस्य	810	113	923
गैर सदस्य	1500	210	1710
कूरियर शुल्क (@ 310/-) के साथ गैर सदस्य	1810	253	2063

नोटिफिकेशन क्र. 14/2015 की प्रतिलिपि "किम्बर्ली इन्फो" वर्ग के अंतर्गत [www.gjepc.org](http://www.gjepc.org) पर उपलब्ध है।

अगर कोई प्रश्न हो तो बिना संकोच परिषद के किम्बर्ली विभाग मुंबई या सूरत से संपर्क करें या [kp@gjpcindia.com](mailto:kp@gjpcindia.com) या [suratepcindia](mailto:suratepcindia) [surat@gjpcindia.com](mailto:surat@gjpcindia.com) पर ईमेल करें।

धन्यवाद,

के लिए और तरफ से

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

सब्यसची रे

कार्यकारी निर्देशक

### **रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद**

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. (भारत)

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: [kp@gjepcindia.com](mailto:kp@gjepcindia.com)/[ho@gjepcindia.com](mailto:ho@gjepcindia.com) वेबसाईट: <http://www.gjepc.org>